

नवाबालक उष जिलाधिकारी सगड़ी, आजमगढ़।  
 बाद संख्या 3/ धारा 143 जनवि030  
 राकेश कुमार बनाम ग्राम बंगबत  
 ग्राम महेशपुर बरगना गौबालपुर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़।

निर्णय

वस्तुतः बाद राकेश कुमार, नव-धक सब0 ईशदस्त स्मारक महाविद्यालय देवारा कदीम के द्वारा बनाए गए तहसीलदार सगड़ी से आरबा मांगी गयी। जो कि आरबा दिनांक 21-01-2013 के आधार पर संचालित किया गया। तहसीलदार ने अपनी आरबा में यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम महेशपुर में गाटा सं0 80/3-689 हे0 में सब0 ईशदस्त महाविद्यालय देवारा कदीम महाराजगंज में स्थित है, उसमें 20 कठारे बरके है तथा चहारदीवारी से घिरी हुई है, जिसमें 6 मेट्रिन भी है, जो अकुषिक भूमि है। जो कृषिक प्रयोजन में नहीं लाने जाती है।

द्वारा को सुनाने के बाद उष जिलाधिकारी ने उषलक्ष्य सारा का अवलोकन किया। अवलोकन में स्पष्ट है कि विवादित भूमि में सब0 ईशदस्त महाविद्यालय देवारा कदीम महाराजगंज स्थित है तथा 20 कठारे बरके है तथा पूरी भूमि चहारदीवारी से घिरी है। उसमें कृषिक कार्य नहीं होता है बल्कि शौके पर अकुषिक भूमि है। विवादित भूमि द्वारा की संकृतकीय भूमिधरी है। आरबा धारा 143 के तहत नियम-135 के द्वारा कर दी गयी है। तहसीलदार सगड़ी की आरबा से सहमत हूँ, जो स्वीकार होने है।

आदेश

तः तहसीलदार सगड़ी की आरबा दिनांक 21-1-2013 स्वीकार की जाती है। ग्राम महेशपुर में गाटा सं0 80/3-689 एकड़ की अकुषिक भूमि घोषित की जाती है। बगान मुक्त किया जाता है। आदेश की कृति तहसीलदार सगड़ी/उष निबन्धक सगड़ी को आनन्दक कार्रवाई हेतु भेजी जाये। आबदक कार्रवाई के पश्चात् बत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

27/2/13

उष जिलाधिकारी,  
 सगड़ी, आजमगढ़।

दाया प्रति प्रमाणित।

*(Signature)*  
 100  
 SDO(S)  
 28-2-13

